राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांकः– प.13(12)वित्त/नियम/ 2021 जयपुर दिनांक : 06 JUN 2025

आदेश

विषयः राज्य के बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत/कार्यरत कर्मचारियों को **GPF Linked Pension Scheme** के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान की जमा राशि लौटायी जाने बाबत्।

संदर्भः वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं इसकी निरन्तरता में जारी आदेशों के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में GPF Linked Pension Scheme लागू किये जाने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं इसकी निरन्तरता में जारी अन्य आदेशों द्वारा इन संस्थाओं के सेवानिवृत/कार्यरत कर्मचारियों हेतु GPF Linked Pension Scheme के दिशा निर्देश जारी किये गये थे। वित्त विभाग को GPF Linked Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन निधि में जमा कराई गई नियोक्ता अंशदान की राशि को लौटाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु निरन्तर प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, अतः इस तरह के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र एवं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी गयी है तथा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा विकल्प पत्र स्वीकार कर लिया गया है एवं ऐसे कार्मिकों को पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा चुका है या पेंशन स्वीकृति जारी की जा चुकी है, तो ऐसे प्रकरणों में नियोक्ता अंशदान की जमा राशि नहीं लौटायी जायेगी।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र भर दिया था और नियोक्ता अंशदान की आंशिक राशि ही संस्था की पेंशन निधि में जमा कराई थी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भी विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित सेवानिवृत/कार्यरत कार्मिकों द्वारा नियोक्ता अंशदान की आंशिक जमा राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाये, चाहे इस हेतु सेवानिवृत/ कार्यरत कार्मिकों द्वारा आवेदन किया हो अथवा नहीं किया हो।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र एवं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी थी, परन्तु निर्धारित अवधि तक सक्षम अधिकारी द्वारा विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया गया है ना ही संबंधित संस्था के स्तर से पुरानी पेंशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उन प्रकरणों में संबंधित सेवानिवृत/कार्यरत कार्मिकों द्वारा नियोक्ता अंशदान की जमा राशि लौटायी जाने का अनुरोध किये जाने पर संबंधित पी.डी. खातें में जमा राशि पर जो ब्याज अर्जित किया गया है, उस ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि लौटा दी जाये।
4. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र एवं नियोक्ता अंशदान की राशि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प लिया जाकर संस्था की पेंशन निधि में प्रथम/द्वितीय किश्त जमा करा दी थी, परन्तु अन्य किश्तें जमा नहीं कराना चाहता है और अपनी राशि लौटाने हेतु अनुरोध करता है तो इन प्रकरणों में नियोक्ता अंशदान की जमा राशि लौटा दी जाये।

5. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र एवं नियोक्ता अंशदान की राशि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प लिया जाकर संस्था की पेंशन निधि में प्रथम/द्वितीय किश्त जमा करा दी गयी है, परन्तु संस्था के अनुरोध पर भी अन्य किश्ते जमा नहीं कराई हैं तो ऐसे मामलों में पर्याप्त नोटिस देने के उपरान्त इन प्रकरणों में नियोक्ता अंशदान की जमा राशि लौटा दी जाये।

6. ऐसे प्रकरण जिनमें सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प पत्र एवं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी थी तथा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा विकल्प पत्र स्वीकार कर लिया गया था परन्तु अभी तक किन्हीं कारणों से पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित के आवेदन करने पर पी.डी. खाते में जमा राशि पर जो ब्याज अर्जित किया गया है उस ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि लौटा दी जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से

5/6/25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया (वित्त)
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

6/6/25

(एस.ज़ेड.शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(पेंशन 9 /2025)